न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1147–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 2.4.14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 04/अपील/13–14.

मुनिब गुप्ता पिता नथई गुप्ता
सा. खडिया बाजार शक्तिनगर,
तहसील व जिला सोनभद्र उ.प्र. ------ आवेदक

विरूद्ध

1– रामचन्द्र शाह पिता श्री कंचन साहू
निवासी ग्राम गहिलगढ पश्चिम
तहसील व जिला सिंगरोली म.प्र.

2– लक्ष्मन साहू पिता भागवत प्रसाद साहू
निवासी ग्राम गहिलगढ पश्चिम
तहसील व जिला सिंगरोली म.प्र. ------ अनावेदकगण

श्री अनिल पाण्डेय, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री अरूण साहू, अधिवक्ता, अनावेदक क्र. 1.
श्री अरविंद पाण्डेय, अधिवक्ता, अनावेदक क्रमांक 2.

:: **आदेश** ::

(आज दिनांक 29 जुलाई, 14 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 04/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 2–4–14 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 के पिता द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 73(2) के तहत आराजी खसरा नं. 3/7 रकबा 0.126 हेक्टर मौजा गहिलगढ पश्चिम तहसील व जिला सिंगरोली का नक्शा तरमीम का आवेदन प्रस्तुत किया गया । आवश्यक कार्यवाही उपरांत विचारण न्यायालय

ने राजस्व निरीक्षक के प्रस्ताव अनुसार नक्शा तर्मीम का आदेश दिनाक 24.5.11 को पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध निगरानी कलेक्टर, सिंगरोली के न्यायालय में की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 17.9.12 द्वारा स्वीकार कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया कि सभी हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश पारित किया जाये । इस आदेश के पालन में कार्यवाही करते हुए तहसीलदार सिंगरोली ने आदेश दिनाक 11–3–13 द्वारा नक्शा तर्मीम किए जाने का आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क. 1 द्वारा एस.डी.ओ. के न्यायालय में अपील की गई जो उन्होंने आदेश दिनाक 10–9–13 द्वारा निरस्त की । एस.डी.ओ. के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे द्वितीय अपील की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3-- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिंदु पर विचार नही किया कि जो आदेश पूर्व में नक्शा तरमीम के संबंध में दिया गया था वह आराजी कमांक 3/4 के संदर्भ में था ना कि 3/7 के सबंध में । उक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता पक्षकार नही था और ना ही पूर्व भूमिस्वामी अनावेदक कमांक 2 पक्षकार थे ऐसी स्थिति में उक्त आदेश को आधार बनाकर जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

यह तर्क दिया गया है कि आराजी नं. 3 स्थित ग्राम गहिलगढ़ काफी बढ़ा भूखड था एवं उक्त आराज में 40 बटा नबर पड़ गये हैं और उक्त आराजी में शासकीय रास्ता बदोवस्त के पहले का तैयार था । अनावेदक कमांक 1 द्वारा वर्ष 2003 में आराजी नं. 3/4 के नक्शा तरमीम के आदेश के विपरीत गलत तरीके से आराजी नं. 3/7 की इत्तलायाबी कराई गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी नं0 3/4 के संदर्भ में राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन, स्थल निरीक्षण पचनामा आदि को अनदेखा कर आदेश पारित किया है जो त्रुटि पूर्ण है ।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एस.डी.ओ. द्वारा पारित आदेश एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 17–10–12 का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया गया है । उक्त प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से लेख है कि विक्रय पश्चात बदानेयतो से रामचन्द्र साहू द्वारा भागवत साहू की जमीन में भुगी फॉम निर्मित

किया जा रहा है । तहसीलदार एव अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि न होते हुए भी अपर आयुक्त ने उक्त आदेशों को निरसत कर त्रुटि की गई है । उक्त आधारो पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्को का खडन करते हुए कहा गया कि मूल आराजी नं. 3 अनावेदक कमांक 1 के पिता और उनके भाइयों के सहखाते की भूमि रही है । जिसका बंटाकन होने के बाद अनावेदक क. 1 के पिता को 3/4 रकबा 2.786 हैक्टर और 3/7 के रूप में अनावेदक क. 2 के पिता को मिला था । अनावेदक क 2 के पिता द्वारा अपने हिस्से की भूमि को कई व्यक्तियों को विक्रय करने के बाद उसके पास 0.126 हैक्टर रकबा शेष बचा था जो रास्ते में चला गया । जिस रास्ते की बात आवेदक द्वारा कही जा रही है वह बंदोवस्त के बाद बना है नाकि बंदोवस्त के पूर्व । अनावेदक कमांक 2 के पिता द्वारा जो भूमि रोड में निकल गई थी उसे भी आवेदक के पक्ष में विक्रय कर दिया गया जबकि उनके पास कोई भूमि विक्रय हेतु शेष नहीं थी ।

यह तर्क दिया गया है कि पूर्व में वर्ष 2003 में जो नक्शा तरमीम की कार्यवाही हुई है वह उसमें सभी खातेदारों के समक्ष नक्शा तरमीम का प्रस्ताव तैयार किया गया है । स्थल टीप, आम सूचना आदि पर अनावेदक कमांक 2 के हस्ताक्षर हैं । नक्शा तरमीम की पुष्टि तहसीलदार ने प्र.क. 199/अ3/02–03 में आदेश दिनांक 2–9–03 द्वारा की गई इस आदेश को कोइ चुनौती अनावेदक कमांक 2 द्वारा किसी न्यायालय में नहीं दी गई । अन्य व्यक्तियों लोकई आदि द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष की गई जिसमे एस.डी.ओ. ने दिनांक 4–2–04 को आदेश पारित करते हुए अपील निरस्त की गई । एस.डी.ओ के आदेश के विरूद्ध लोकई आदि द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील कमांक 193/अपील/03–04 प्रस्तुत की गई जो लोकई आदि के अधिवक्ता के अनुरोध पर नोटप्रस में समाप्त की गई है । इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा प्र.क 199/अ3/02–03 में पारित आदेश को पुष्टि हो गई है ।

यह तर्क दिया गया कि उक्त कार्यवाहियों के दौरान अनावेदक कमांक 2 के पिता द्वारा बटाकन खातेदारो के पीट पीछे नक्शा तरमीम का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमे विधि विरूद्ध तरीके से प्रस्ताव तैयार कराया गया जिसकी अपील अनावेदक क. 1 ने

कलेक्टर, सिंगरोली के न्यायालय में की जो आदेश दिनांक 17–3–12 द्वारा स्वीकार की गई । यह भी कहा गया कि अनावेदक क्र. 1 के पिता के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 02–9–03 का क्रियान्वयन करते हुए नक्शे में लाल स्याही से सुधार किया गया लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों को नजर अंदाज कर आदेश पारित किया गया जिसकी पुष्टि एस.डी.ओ. ने अवैधानिक रूप से की । अतः अपर आयुक्त ने दोनों न्यायालयों के आदेशों को निरस्त कर कोई त्रुटि नहीं की है ।

यह भी कहा गया कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा विचारण न्यायालय में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत अपील की प्रचलनशीलता पर आपत्ति की थी जिस पर जबाव पश्चात तर्क सुना जाकर प्रकरण अंतरिम आदेश हेतु नियत किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अंतरिम आदेश पारित करने का बजाय अपील का अंतिम रूप से निराकरण किया गया जो अवैधानिक है । उक्त आधारों पर अनावेदक क्र. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5– अनावेदक क्र. 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया ।

6– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण नक्शा तरमीम के संबध में है । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पूर्व में सर्वे नं. 3/4 के संबध में तहसील न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 199/अ3/02–03 में पारित आदेश दिनांक 02–9–03 द्वारा नक्शा तरमीम के आदेश दिए गए । इसके विरूद्ध प्रकरण अपर आयुक्त न्यायालय तक आया और अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 193/अपील/03–04 में दिनांक 07–9–12 को उक्त प्रकरण के अपीलार्थीगण के अनुरोध पर नोटप्रेस में समाप्त किया गया । उक्त आदेश को कोई चुनौती किसी पक्षकार द्वारा नहीं दी गई है । इस कारण अपर आयुक्त के न्यायालय से प्रकरण का निराकरण होने के बाद तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 2–9–03 अंतिम हो गया है । ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक 2 के पिता द्वारा नक्शा तरमीम हेतु प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही करते हुए जो आदेश विचारण न्यायालय द्वारा 11–3–13 को पारित किया गया है न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि करने में अवैधता की गई है । अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि

अनावेदक कमांक 2 द्वारा आवेदक को भूमि का विक्रय दिनांक 2–9–1? को किया गया है । ऐसी स्थिति मे आवेदक को वर्ष 2003 के प्रकरण में पक्षकार बनाए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । वर्ष 2003 में नक्शा तरमीम की जो कार्यवाही विचारण न्यायालय में हुई है उसमे अनावेदक कमांक 2 के हस्ताक्षर स्थल टीप, सूचना पत्र आदि पर हैं और उनके द्वारा उक्त आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई है । अतः आवेदक का यह तर्क कि, अपर आयुक्त द्वारा वर्ष 2003 के आदेश को आधार बनाया जाकर आदेश पारित किए जाने में त्रुटि की गई है, निराधार होने से मान्य किये जाने योग्य नहीं है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष उचित एवं विधिसम्मत है कि दिनांक 02–9–03 के आदेश के अनुसार खसरा न. 3/4 में हुई तरमीम की कार्यवाही अनुसार अनावेदक कमांक 1 की भूमि यथावत रहेगी और आवेदक खसरा नं. 3/4 की भूमि को छोड़कर बाद में समय–समय पर किए गए विक्रय के अनुसार खसरा न. 3/7 भूमि से ही शेष भूमियों में ही भूमि प्राप्त कर सकते हैं । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–4–14 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर